सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री मुख्तार नकवी**) : (क) विज्ञापन उद्योग की ओर से इस प्रकार के कदम के बारे में सरकार को जानकारी नहीं हैं।

(ख) और (ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन विज्ञापनों को ' वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता' के अनुसार विनियंत्रित किया जाता है जिसमें सभी विज्ञापनों में अभद्र, अश्लील, उद्दीपक या आपत्तिजनक विषयों या उनके निरूपण का निषेध किया गया है स्वतंत्र विदेशी उपग्रह चैनल, कार्यक्रम/विज्ञापन संहिताओं में संबंधित केबल नेटवर्क विनियमन अधिनियम (1995) के प्रावधानों की परिधि में नहीं आते हैं। इस संबंध में एक व्यापक कानून बनाने हूतु सरकार द्धारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं जिससे सभी विदेशी उपग्रह चैनलों की विनियमित किया जा सकेगा और उन्हें भारतीय कानूनों एवं विनियमों के अंतर्गत लाया जा सकेगा। जहां तक प्रिन्ट मीडिया का संबंध हैं, देश में प्रेस निजी क्षेत्र में हैं और सरकार प्रेस की स्वतंत्रता बबनाए रखने के उदेश्य से उनके कार्यो मे हस्त्क्षेप न करने की नीति का अनुसरण करती हैं। तथापि, विज्ञापकों के एक स्व-नियंत्रक निकाय 'भारतीय विज्ञापन मानक परिषद' ने स्विनिरूपित विज्ञापन प्रक्रिया संहिता बनाई हुई हैं जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि बच्चों, के लिए विज्ञापनों में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो बच्चों के लिए शारिरिक, मानसिक या नैतिक दृष्टि से हानिकारक हो अथवा उनके कोमल मन पर गलत प्रभाव डालता हो।

(घ)सरकार ने इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया हैं।

बछावत और मणिसाना सिंह आयोग के प्रतिवेदनों का कार्यान्वयन

94. **श्री ओंकार सिंह लखावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)कौन-कौन से समाचार पत्र अपने पत्रकारों को बछावत वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन-मान दे रहे हैं और कौन-कौन से समाचार पत्र ऐसा नहीं कर रहे हैं;

(ख)मणिसाना सिंह आयोग, जिसे पत्रकारों के वेतन-मानों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था, के प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति क्या हैं;

(ग)यह प्रतिवेदन किस तिथि का प्रस्तुत किया जाना था;

(घ)इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ड.)इसे कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री मुख्तार नकवी**) : (क) बछावत वेतन बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वयन की समाचारपत्र-वार सूचना नहीं रखी जाती हैं। राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1703 समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में से 637 ने पूर्णतया तथा 26 आंशिक रूप से बछावत वेतन बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित किया हैं।

(ख)वेतन बोर्ड इस समय नियोक्ता संस्थाओं कर्मचारी एवं पत्रकार संस्थाओं आदि के प्रतिनिधियों की मौखिक रूप सुनवाई कर रहा हैं।

(ग) से (ड.) वेतन बोर्ड के गठन के समय रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी। तथापि, अध्यक्ष से मार्च, 1999 तक कार्य को पूरा करने का अनुरोध किया गया हैं।

सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्मों का पुन: प्रमाणन

95. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या सरकार को किसी फिल्म को दिखाने की अनुमति दिये जाने के बाद भी उस फिल्म को प्रमाणन के लिये सेंसर बोर्ड के पास पुन: भेजने का कोई अधिकार हैं;

(ख)यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो के दौरान कितनी फिल्मों को पुन: प्रमाणन के लिये सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया था; और

(ग)यदि नहीं, तो इसके लिये अन्य उपाय क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्स मंत्री (**श्री मुख्तार नकवी**) : (क) से (ग) सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु फिल्मों के प्रमाणन के मामलों में केन्द्र सरकार को चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा -6 के अनुसार संशोधन करने का अधिकार है। उन मामलों में जहां इन शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है, चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 32 के तहत केन्द्र सरकार, यदि आवश्यक समझे, तो केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी0बी0एफ0सी0) को किसी भी प्रमाणित फिल्म जिसके बारे में शिकायत प्राप्त हुई हो, के संबंध में पुन: जांच करने का निदेश दे सकती हैं। केन्द्र सरकार, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति पर समुचित आदेश पारित करेगी। पिवछले तीन वर्षो कें दौरान, पांच प्रमाणित फिल्मों को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास पुन: जांच हेतु भेजा गया था।

Information Training Centre at Dimapur

96. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of INFORMATION AND

BROADCASTING be pleased to state:

(a) When the Information Training Centre conducted by Government of India at Dimapur will be started;

(b) whether the present Government has not complied with the assurance of the previous United Front Government to extend assistance to the State Instiutte of Journalism, Imphal conducted by the Publicity Department, Government of Manipur; and

(c) the measures taken up by Government for fulfilling that assurance in the House.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI MUKHTAR NAQVI): (a) There is no proposal to start a Information Training Centre by Government at Dimapur.

(b)The previous United Front Government did not give such an assurance.

(c) Does not arise.

Autonomy to Prasar Bharati

97. SHRI AKHILESH DAS:
SHRIMATI VEENA VERMA.

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether having reissued the Prasar Bharati Ordinance, Government have been rethinking on the extent of autonomy to be granted or providing "teeth to it";

(b) if so, what precise issues have been considered in this regard and what decision, if any, has been taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI MUKHTAR NAQVI): (a) Government have only sought to restore the provisions of the original Prasar Bharati Act, 1990 through the promulgation of the Prasar Bharati Amendment Ordinance, 1999.

(b) Does not arise.

News-Item Captioned 'DD is Returning to Sycophancy'

98. SHRI NAGENDRA NATH OJHA:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Goverment's attention has been drawn to the news-item appearing in the Indian Express dated 20th January, 1999 under the caption "DD is returning to sycophancy"; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI MUKHTAR NAQVI): (a) Yes, Sir.

(b) All programme matters including news telecast by Doordarshan fall within the purview of Prasar Bharati, a statutory autonomous body and the Government do not interfere in such matters. Prasar Bharati have reported that its news bulletins are prepared purely on the consideration of news value of stories and keeping in view its policy guidelines, it has further reported that being national broadcaster, it is the duty of Doordarshan to ensure that sensitive matters particularly those affecting national security or harmonious relations between different communities are covered in a responsible manner keeping in view possible ramifications of their coverages. Whenever the statements of Prime Minister have important news value justifying their inclusion as a top story, it is being done.

Introduction of Direct to Home Telecast

99. SHRI AMAR SINGH:
SHRI GHUFRAN AZAM:
SHRI NAGENDRA NATH OJHA:
SHRI JALALUDIN ANSARI:
SHRI ABANI ROY:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have decided to introduce Direct to Home telecast;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, by when **a** decision is likely to be taken;

(d) whether the issue of DTH would be delinked from the Broadcasting Bill; and

(e) if so, the reasons therefor, and benefits to Doordarshan by allowing DTH in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI MUKHTAR